

31.03.2023

पत्रावली पैश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस करनी चाही, बहस वकील वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


1. कालूलाल पुत्र किशनलाल राजोरा सा0 देह निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
4418/1	0.1833	बंजड
किता-1	0.1833 है0	-

1. गोपीलाल 1/3, रामचन्द्र 1/3, सीताराम 1/3 पुत्र माहनलाल ब्राह्मण सा0 भीलवाड़ा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
4416	0.3288	जाव-1
4418	0.0064	बंजड
4419	0.0126	गै.मु.आचा
9289/4416	0.2023	बंजड
किता-4	0.5501 है0	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।


(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी -विनोद कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 44/2021 राजस्व वाद

1-श्री कालूलाल राजोरा पिता किशनलाल तेली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

—वादी

बनाम

- 1- श्री गोपीलाल पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 2- श्री रामचन्द्र पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 3- श्री सीताराम पिता मोहनलाल ब्राह्मण निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
- 4- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सैन उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 3 - में इस वाद के आज दिनांक 31.03.2023 को विनोद कुमार, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रुपये की राशि आज दिनांक से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत को दी जावे।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. कालूलाल पुत्र किशनलाल राजोरा सा0 देह निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


आराजी नं.	रकबा	किस्म
4418/1	0.1833	बंजड
किता-1	0.1833 है0	-

1. गोपीलाल 1/3, रामचन्द्र 1/3, सीताराम 1/3 पुत्र माहनलाल ब्राह्मण सा0 भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	किस्म
4416	0.3288	जाव-1
4418	0.0064	बंजड
4419	0.0126	गै.मु.आचा
9289/4416	0.2023	बंजड
किता-4	0.5501 है0	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

आज दिनांक 31.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


31.03.2023
(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
भीलवाडा